न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री टीए संख्या 663/2006/राजसमंद

1— श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री नरोत्तम सनाढ्य विधवा भगवानदासजी सनाढ्य निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद।

2— श्रीमती कृष्णा पुत्री नरोत्तमदास सनाढ्य पत्नी नवनीत सनाढ्य निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3— श्रीमती जशोदा पुत्री नरोत्तम सनाढ् पत्नी प्रमोद कुमार सनाढ्य निवासी नाथद्वारा, हाल सूरत (गुजरात)

—अपीलांट्स

—बनाम—

1— श्री मदनलाल पिता रमणलाल सनाढ्य निवासी नाथद्वारा स्थान लालबाग ट्यूरिस्ट बंगला रोड़ नाथद्वारा जिला राजसमंद। (फौत)

1/1 श्रीमती विशाखा देवी बेवा मदनलाल

1/2 जयन्त कुमार पुत्र मदनलाल

1/3 संतोष पुत्र मदनलाल

निवासीगण मंदिर पिछवाड़ लम्बी गली, नाथद्वारा राजसमन्द।

1/4 रेणु पुत्री मदनलाल पत्नि बिहारीलाल निवासी लोधा घाटी, बायला बड़ा बाजार नाथद्वारा।

2— श्री सुभाष पुत्र स्व0 नरोत्तम सनाढ्य ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

—निर्णय— **दिनांकः—11.07.2023**

1— अपीलांट्स ने यह अपील भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के आदेश दिनांक 10—01—2006 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खेत खसरा संख्या 290, 291, 296, 297, 298, 299 व 300 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 इस अधार पर प्रस्तुत किया गया कि आराजी जैर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम दर्ज भूमि है। उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी एवं वादी के बड़े भाई नरोत्तम के पिता रमणलाल के नाम दर्ज भूमि रही है। रमणलाल के मृत्यु के उपरान्त आराजी जैर वादी एवं वादी के भाई नरोत्तम के नाम दर्ज होने के उपरान्त वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा आराजी जैर की वसीयत दिनांक 28—10—1978 के आधार वादपत्र प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को मियांद के बिन्दु के आधार पर खारिज किये जाने से व्यथित होकर द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खेत खसरा संख्या 290, 291, 296, 297, 298, 299 व 300 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी एवं

प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज भूमि होने से पूर्व उक्त भूमि उनके पिता रमणलाल की खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि एक पैतृक सम्पति होने के आधार पर आराजी जैर में अपीलांट्स के पिता का 1/2 हक व हिस्सा निहित होने के आधार पर आराजी जैर रमणलाल के दोनों पुत्रों मदनलाल व नरोत्तम के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र इस आधार प्रस्तुत किया गया कि आराजी जैर के मूल स्वामी स्व0 रमणलाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हाथ से दिनांक 28—10—1978 को अपने अंतिम वसीयत अभिलिखित करते हुए उपरोक्त समस्त आराजीयात वसीयत कर दी। अतः उक्त वसीयत के आधार पर खातेदार अधिकारों की घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व न तो वसीयत की जांच करवाई गयी न ही अपीलांट अर्थात् स्व0 नरोत्तम के जायज वारिसान को सुनवाई व सबूत का ही कोई अवसर प्रदान किया गया। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपीलांट्स आराजी जैर के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इस मूलभूत सिद्धान्त पर अपना किसी प्रकार का विवेचन अंकित किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट्स के विधिक अधिकारों को समाप्त करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

5— प्रकरण में जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तलबी का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की समुचित तलबी हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया मात्र प्रतिवादीगणों को जारी नोटिस लेने से मना व आबाद पर चस्पा मानते हुए तलबी बन्द कर दी गई व प्रकरण में एकतरफा तौर पर बहस सुनते हुए प्रतिवादीगणों के विधिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उनके विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम तो प्रतिवादीगण/अपीलांट्स जोकि आराजी जैर पर 1/2 हक व हिस्से के अधिकारी थे, को समाप्त किया गया। दूसरी तरफ वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तथाकथित वसीयत के आधार पर आराजी जैर का खातेदार घोषित विधि विरूद्ध तरीके से

किया गया। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि अपीलांट्स नरोत्तमदास के जायज वारिसान होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत विधिक वारिसान है तथा जिन्हें बिना पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर दिये नरोत्तम के 1/2 हक व हिस्से की भूमि के खातेदार अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है, जिसे निरस्त किया जावे। उक्त अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र पेश करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने की मांग की गई थी। परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण के बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए अपीलांट्स की अपील को मियांद के बिन्दु खारिज कर दिया गया। जबकि विधि का यह सुविस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहां मियांद के बिन्दु पर न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि के उपरोक्त प्रावधानों के विपरित जाकर अपील को मियांद के बिन्दु पर खारिज करते हुए अपीलांट्स के विधिक अधिकारों को सरसरी तौर पर समाप्त करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। प्रकरण में अपीलांट्स बतौर नरोत्तम के जायज वारिसान वादग्रस्त भूमि पर 1/2 हक व हिस्से के अधिकारी होने से अपीलांट्स की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमायें जावे।

6— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खेत खसरा संख्या 290, 291, 296, 297, 298, 299 व 300 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व में अपीलांट्स के दादा व रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 मदनलाल के पिता स्व0 रमणलाल के नाम खातेदारी दर्जशुदा भूमि थी। रमणलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी जैर की वसीयत अपने पुत्र मदनलाल के नाम दिनांक 28—10—1978 निष्पादित कर दी गई थी। रमणलाल के जीवनकाल के दौरान व उनकी मृत्यु के उपरान्त आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल के कब्जेकाश्त की भूमि रही है। इस आशय का अंकन स्व0 रमणलाल द्वारा अपने वसीयत दिनांक 28—10—1978 में भी किया गया है। इस प्रकार समस्त आराजीयात प्रारंभ से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जेकाश्त की भूमि रही है। आराजी जैर स्व0 रमणलाल की मृत्यु के उपरान्त

रमणलाल के अन्य पुत्र नरोत्तम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर वारिसान दर्ज होने से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि आराजी जैर के मूल स्वामी रमणलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त समस्त भूमि की वसीयत वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दिनांक 28—10—1978 को निष्पादित करते हुए मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। लिहाजा उक्त वसीयत के आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या वादग्रस्त भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त वादपत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् व नियमानुसार प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त जारी नोटिसों को लेने से इंकार करने पर विधिक प्रक्रियानुसार आबाद मकान पर नोटिस चस्पा किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन की उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है यह स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

7— प्रकरण में जहां तक गुणावगुण व वादपत्र के निर्णय का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वसीयत जमाबंदी संवत् 2053—2056 मेवाड़ सेटलमेंट डिपार्टमेंट की पावड़ी संवत् 1897 व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों ओमप्रकाश पुत्र नरोत्तम शर्मा के बयान आदि के उपरान्त रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 28—10—1978 में किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं पायी जाने पर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि सम्मत् तरीके घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक/कानूनी त्रुटि नहीं है। प्रकरण में जहां तक अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने की आपत्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधायिका में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये है जिसके अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 की अनुपालना में जहां अपील अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई हो वहां सर्वप्रथम विलम्ब के बिन्दु का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि के सुविस्थापित सिद्धान्तों की पालना करते हुए व यह पाये जाने पर की अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है तथा विलम्ब को दरगुजर करने जो कारण अंकित किये गये वे 4 वर्ष की अवधि को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं होने के आधार पर अपीलांट्स की अपील

मियांद के बिन्दु पर विधि सम्मत् तरीके से खारिज की गई है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत् बहाल रखें जावे।

8— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

9— प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खेत खसरा संख्या 290, 291, 296, 297, 298, 299 व 300 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि आराजी जैर पूर्व में रमणलाल के नाम दर्जशुदा भूमि रही तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही समस्त आराजीयात् की वसीयत दिनांक 28—10—1978 को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी गई थी। रमणलाल की मृत्यु के उपरान्त आराजी जैर बतौर विरासतन वादी/प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज किये जाने से व्यथित होकर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस प्रतिवादीगण द्वारा ''लेने से मना'' किये जाने पर तामील कुनिन्दा द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में प्रतिवादीगण के आबाद मकान पर नोटिस चस्पा किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहॉ तक पक्षकारों की तलबी की सुनिश्चितता का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रतिवादीगण को तलब किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जहॉ तक तकनीकी बिन्दु अर्थात पक्षकारों की तलबी का प्रश्न है, प्रतिवादीगण/अपीलांट्स का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

10— प्रकरण में न्यायालय के समक्ष गुणावगुण पर विचारणीय/निर्धारण योग्य प्रश्न यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल स्वामी अर्थात रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि सम्मत् तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है अथवा नहीं? इस संबंध में सर्वप्रथम स्व. रमणलाल द्वारा दिनांक 28—10—1978 को निष्पादित वसीयत की गई थी, तथा अपीलांट्स के पिता नरोत्तम की मृत्यु वर्ष 1994 में होना अंकित किया गया है। इस प्रकार रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत के 16 वर्ष तक अन्य पुत्र नरोत्तम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वसीयत के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना इस तथ्य की ताईद करता है कि रमणलाल के अन्य पुत्र अर्थात अपीलांट्स के पिता नरोत्तम द्वारा इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया था कि रमणलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि उसके भाई मदनलाल अर्थात वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रदत्त कर दी गई है।

11— प्रकरण में अपीलांट्स के दादा एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के पिता स्व. रमणलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि की वसीयत का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय यह भी है कि आज दिनांक तक न तो अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ना ही अपीलांट्स द्वारा उक्त वसीयत को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय के समक्ष उक्त वसीयत की संदिग्धता पर प्रश्न चिन्ह् नहीं लगाया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि स्व. रमणलाल द्वारा निष्पादित वसीयत आज दिनांक तक अखण्डनीय है, लिहाजा उक्त अखण्डनीय वसीयत जिसका किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध अपीलांट्स द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया, नाही अपीलीय न्यायालय के समक्ष नाही न्यायालय हाजा के समक्ष किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार बतौर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि आराजी जैर पैतृक सम्पति है।

ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सम्पति के अधिकार किसी अन्य विशेष व्यक्ति को जरिये वसीयत हस्तान्तरित करने के प्राप्त होने के आधार पर ही स्व. रमणलाल द्वारा अपने जीवनकाल में आराजी जैर की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम निष्पादित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण/अपीलांट्स का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर उनके अधिकार बतौर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अर्जित होते है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलांट्स उसी स्थिति में अपने अधिकार प्राप्त कर सकते थे, जब आराजी जैर के मूल स्वामी अर्थात रमणलाल द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व उनकी सम्पति का हस्तान्तरण नहीं किया जाता।

इस संबंध में वादग्रस्त भूमि के दिनांक 20—12—2004 से पूर्व निष्पादित वसीयत के उपरान्त भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार निहित होते है अथवा नहीं? इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 350 का अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में अभिलिखित किया गया है किः—

> Hindu Succession Act, 1956 – Sec. 6 (As amended) parity of rights – Coparcenary property – Right of daughters – In ancestral property daughter is entitled to share from 09-09-2005.

उक्त नजीर के पृष्ठ संख्या 353 के पैरा संख्या 13 में इसी क्रम में अभिलिखित किया गया है किः—

> Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any parition or testamentary disposition of porperty which had taken place before the 20th day of December, 2004.

ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि की वसीयत दिनांक 20—12—2004 से पूर्व होने से धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये संशोधित प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होने व वादग्रस्त भूमि का स्वरूप पैतृक नहीं रहने से वादग्रस्त भूमि पर बतौर नरोत्तम की पुत्री होने के आधार पर जन्म से उपरोक्त धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकारिणी नहीं होती है।

12— प्रकरण में जहॉ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अपील को मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 31—03—1999 को आदेश प्रसारित किया गया था, उक्त आदेश के उपरान्त अपीलांट्स द्वारा अपील वर्ष 2003 में अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में अपीलांट्स का कथन कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं करते हुए अपील को मियांद के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि यदि अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है तो सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट् द्वारा इस आश्य की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को चार वर्ष की अवधि को गौण करने हेतु पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं मानते हुए अपीलांट्स की अपील को मियांद के बिन्दु पर खारिज किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का यह कथन कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण रखा जाना चाहिए, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस लेने से इंकार के आधार पर उपस्थित नहीं आये तथा कालान्तर में उनके द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अर्थात अपील प्रस्तत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि 60 दिवस के अत्याधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मियांद के बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के

आधार पर ही अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अपील को विधि सम्मत् तरीके से मियांद के बिन्दु पर निर्णित किया गया है।

13— लिहाजा दोनों समवर्ती न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होने से आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि— अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है तथा भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के आदेश दिनांक 10—01—2006 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य